न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 63/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00067)

1. ताराचन्द पुत्र लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
2. अर्जुनलाल पुत्र लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
3. लिछमा पत्नी स्व. लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
4. राकेश
5. कमल

   पुत्रगण स्व. बुधरमल पुत्र स्व. लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
6. रूकमणी देवी बेवाह स्व. बुधरमल जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुजानगढ।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुजानगढ।

रेस्पोडेंट्स

3. निरंजन कुमार पुत्र लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
4. पुष्पादेवी
5. राधादेवी

   पुत्रीया स्व. लच्छीराम जाति ब्राहमण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।

प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20.02.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सुजानगढ द्वारा मार्फत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने अपने पत्र दिनांक 3.7.14 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं निवास हेतु कस्बा सुजानगढ मे खं. नं. 1655 गै. मु. गोचर रकबा 16.07 बीधा भूमि में से 6.03 बीधा भूमि का आवटन हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला कलक्टर चूरू को प्रेषित किये। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2014 द्वारा खसरा नं.

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1655 तादादी 16.07 बीधा मे से 3.08 बीधा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ को कार्यालय व आवास निर्माण हेतु आंवटन करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि खेत खसरा नं. 1655 तादादी 16 बीधा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1659 तादादी 10 बीधा एवंम खसरा नं. 1653 तादादी 5 बीधा 12 बिस्वा कुल 31 बीधा 19 बिस्वा मौजा रोही कस्बा सुजानगढ में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 की पुस्तेनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। वादगत भूमि स्व. लिच्छीराम के कब्जे काश्त में थी। उनके मृत्यु के पश्चात स्व. बुधरमल के कब्जे काश्त मे रही। वर्तताान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 के कब्जे काश्त में है। वादगत भूमि के बाबत स्व. लिच्छीराम ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सुजानगढ में एक दावा सं. 288/95 लिच्छीराम बनाम सरकार प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.06.1989 को खारिज किया जिसके विरूद्व स्व. लिच्छीराम ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26.03.1990 को रिमाण्ड कर वादगत भूमि की खातेदारी कर डिक्री जारी करने हेतु राजस्व अभिलेखो मे अपीलान्ट्स के नाम लगान की रकम कायम की जाकर दर्ज किये जाने व लगान वसूल करने हेतु सहायक कलेक्टर सुजानगढ को भिजवाई, तत्पश्चात राज्य सरकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपील सं. 297/1990 सरकार बनाम गोपाल गौ शाला , लच्छीराम दर्ज हुई तथा दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

27.04.1992 को निरस्त कर दी गई। जिसके विरूद्व आज दिनांक तक अन्य कोई कार्यवाही उच्चतर न्यायालय में नही की गई है। निर्णय दिनांक 26.03.1990 अन्तिम हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वनिर्णित प्रकरणो में हुवे निर्णय व डिक्री की पालना न कर नये सिरे से प्रकरण में दिनांक 09.01.2008 को आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अपील सं. 11/2008 बुधरमल बनाम सरकार प्रस्तुत की तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश प्रदान किये। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपने कानूनी अधिकारो का नाजायज लाभ उठाकर अपीलान्ट के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी व तहसीलदार सुजानगढ ने सभी तथ्यो की जानकारी होते हुए प्रपत्र बना कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील से आवटन करने के साथ–साथ भूमि के किस्म परिर्वतन करने का आदेश दिया है तथा आंवटित की गई भूमि मूल खसरे में कहा स्थित है ? आदेश में स्पष्ट अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया तथा बिना मौके की वास्तवित स्थिति को स्पष्ट किये आदेश जैर अपील के जरिये अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आवटित कर दी। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। जिला कलक्टर चूरू के द्वारा कस्बा सुजानगढ के ख. नं. 1655 गै. मु. गोचर की भूमि में से अपने आदेश दिनांक 23.07.2014 के द्वारा रोही सुजानगढ कस्बा की "तादादी 16.07 बीधा में से 3.08 बीधा किस्म गैर मुमकिन गोचर की किस्म परिवर्तन कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ के कार्यालय व

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवास निर्माण हेतु राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, औषधालयो तथा लोकोपयोगी अन्य भवनो के निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय भूमि आंवटन) नियम 1963 के नियम 2 (6) अन्तर्गत भूमि का आवंटन प्रमुख शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 10 (3) राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.013 एवं अधिसूचना दिनांक 16.06.2014 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो के तहत निःशुल्क निम्न शर्तो पर आवंटन किया गया। 1. भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है। 2. आवटित भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजनार्थ किया जायेगा, जिसके लिए भूमि का आवंटन किया गया है। 3. आवंटित भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण अन्य किसी को नही किया जायेगा। 4. आंवटित भूमि पर भवन का निर्माण दो वर्ष मे करना होगा अन्यथा भूमि आंवटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। 5. आंवटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, आवंटिती को बिना आपति के प्रकरण सें संबधित समस्त सरकारी आदेशो व उक्त शर्तो की पालना करनी होगी अन्यथा बिना कोई मुआवजा दिये आंवटित भूमि तथा उस पर निमित निर्माण सरकार में निहित मान लिय जावेगा। '' जिससे यह स्पष्ट है कि आवटित भूमि गै.मु. गोचर रही है। जिसके संबध में परिपत्र प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 17.4.13 द्वारा तथा परिपत्र संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 16.6.2014 द्वारा आवटन किया गया है। इस संबध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक परिवाद दिनांक 28.07.2014 को प्रस्तुत कर खसरा नं. 1653, 1655, 1659 के संबध में अपील सं. 11/08 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर मे जैरकार होने व तथा जिसमें दिनांक 08.02.2008 से उक्त भूमि पर स्टे होने व आगामी पेशी 06.08.2014 होने का कथन किया, साथ ही उक्त भूमि पर परिवादी/ अपीलान्ट का कब्जा होना अंकित किया जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने पत्र क्रमांक 06.08.14 द्वारा उपखण्ड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही तत्पश्चात इस संदर्भ कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत निर्णय न्यायालय भू–प्रबंध

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर मे विचाराधीन अपील सं. 29/2017 का दिनांक 29.05.2019 को अपीलान्ट के हक में होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को रिमाण्ड किया गया है, जिसके अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के द्वारा मु. नं. 03/23 दिनांक 3.1.23 दर्ज किया गया है जो कि वर्तमान में लंबित है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि के संबध मे न्यायालय में वाद लंबित है तथा अपीलाधीन आदेश में आवटित भूमि निःशुल्क आवंटन होने पर भी शर्त सं. 1 के अनुसार 99 वर्ष की लीज पर भी आवंटन किया गया है जो कि विरोधाभाषी आदेश है, साथ ही आवंटन आदेश के साथ खं. नं. 1655 में से आवंटित भूमि का तरमीम शुदा नक्शा एव माप भी अंकित नही है जो कि आवंटन आदेश का भाग होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 23.07.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर चूरू को रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि प्रकरण से संबधित लंबित वाद/स्थगन के संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त कर गोचर भूमि आवटन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो के अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.स्व.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।